

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 412]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 11 सितम्बर 2013—भाद्र 20, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2013

क्र. 6085-253-इक्कीस-अ-(प्रा)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 7 सितम्बर, 2013 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३० सन् २०१३

### मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, २०१३

#### विषय-सूची.

#### धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. धारा २ का संशोधन.
३. धारा ४ का संशोधन.
४. धारा ७ का संशोधन.
५. धारा ९-क का अन्तःस्थापन.
६. धारा ११ का संशोधन.
७. धारा १२ का संशोधन.
८. धारा १७ का संशोधन.
९. धारा २६ का संशोधन.
१०. धारा २७ का संशोधन.
११. धारा २८ का संशोधन.
१२. धारा २९ का स्थापन.
१३. धारा ३५ का स्थापन.
१४. धारा ३६ का संशोधन.
१५. धारा ३६-क का अंतःस्थापन.
१६. धारा ४१ का संशोधन.

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३० सन् २०१३

### मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, २०१३

[ दिनांक ७ सितम्बर २०१३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ११ सितम्बर, २०१३ को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, २०१३ है. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

(२) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

२. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) धारा २ का संशोधन. (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में.—

(एक) खण्ड (त) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(त क) “व्यावसायिक पाठ्यक्रम” से अभिप्रेत है, निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था अधिनियम की धारा ३ के खण्ड (ड) में यथा परिभाषित व्यावसायिक पाठ्यक्रम;”;

(दो) खण्ड (न) का लोप किया जाए;

(तीन) खण्ड (फ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

(फ) “विनियामक परिषद्” से अभिप्रेत है, यथास्थिति, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, १९८७ (१९८७ का ५२) के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ (१९६१ का २५) की धारा ४ के अधीन गठित भारतीय विधिज्ञ परिषद् वास्तुविद् अधिनियम, १९७२ (१९७२ का २०) के अधीन स्थापित वास्तुविद् परिषद्, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १९५६ (१९५६ का १०२) के अधीन गठित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, २००० (क्रमांक १ सन् २००१) के अधीन स्थापित मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् या भेषजी अधिनियम, १९४८ (१९४८ का ८) के अधीन गठित भारतीय भेषजी परिषद्, दंत चिकित्सक अधिनियम, १९४८ (१९४८ का १६) के अधीन गठित भारतीय दंत चिकित्सा परिषद्, भारतीय नर्स परिषद् अधिनियम, १९४७ (१९४७ का ४८) के अधीन गठित भारतीय नर्स परिषद्, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० (१९७० का ४८) के अधीन गठित भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७३ (१९७३ का ५९) के अधीन गठित होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद्, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, १९९३ (१९९३ का ७३) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के आयुष विभाग के अधीन किसी स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रीय अनुसंधान परिषद्, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के कृषि, अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् या यथास्थिति, अन्य कोई केन्द्रीय या राज्य विनियामक निकाय जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, उच्च शिक्षा के मानक सुनिश्चित करने हेतु मानक तथा शर्तें अधिकथित करने के लिए, स्थापित किया गया है;”.

धारा ४ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ४ में, उपधारा (२) में, खण्ड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(ज) संकाय, जैसे विज्ञान, कला, वाणिज्य, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य विज्ञान आदि की प्रकृति तथा संख्या, निजी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रत्येक संकाय में किए जाने वाले प्रस्तावित अध्ययन तथा गवेषणा कार्यक्रम (स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर) के प्रकार एवं ऐसा क्रमिक कार्यक्रम जो पाठ्यक्रमानुसार नामांकन लक्ष्य के साथ पांच वर्ष के लिए हों :

परन्तु निजी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना कोई ऐसा कार्यक्रम या पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का प्रस्ताव नहीं करेगा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुमोदित सूची में न हो;”.

धारा ७ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ७ में,—

“(एक) खण्ड (एक) में, उपखण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(क) मुख्य परिसर तथा ऐसे अन्य परिसर जो विनियामक आयोग द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, २००३ के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञात किए जाएं;”;

(दो) खण्ड (दो) और (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

“(दो) वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संबंधित विनियामक परिषद् या परिषदों के मानकों के, यदि कोई हों, अध्यधीन रहते हुए, स्थापित किए जाने वाले मुख्य परिसर के लिए न्यूनतम १० हेक्टर भूमि प्राप्त करेगा और उसके स्वामित्व संबंधी कागजात प्रस्तुत करेगा;

(तीन) वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संबंधित विनियामक परिषद् या परिषदों के मानकों के, यदि कोई हों, अध्यधीन रहते हुए, प्रशासकीय प्रयोजन तथा शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित करने के लिए भवन तथा अनुषंगी संरचना के रूप में न्यूनतम २५०० वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र उपलब्ध कराएगा;”;

(तीन) खण्ड (चार) में,—

(क) उपखण्ड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(च) वह ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करेगा तथा ऐसी अन्य जानकारी प्रस्तुत करेगा जैसी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विनियामक आयोग और विनियामक परिषदों द्वारा, समय-समय पर, विहित की जाएं;”;

(ख) उपखण्ड (झ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(झ) वह, यथास्थिति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विनियामक परिषदों या विनियामक आयोग के मानकों, दिशा-निर्देशों या निदेशों के अनुसार, यदि कोई हों, प्रवेश प्रक्रिया एवं फीस के नियतन को अवधारित करेगा;”;

(ग) उपखण्ड (ट) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(ट) निजी विश्वविद्यालय का अध्यापन कर्मचारिवृंद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या संबंधित विनियामक परिषद् या निकाय द्वारा यथाविहित न्यूनतम अर्हता रखेगा तथा कर्मचारिवृंद को समुचित पारिश्रमिक संदत्त किया जाएगा;”.

(घ) उपखण्ड (ड) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(ड) धारा ३५ के उपबंध के अनुसार संबंधित परिणयमों या अध्यादेशों के राजपत्र में प्रकाशित हो जाने तक प्रवेश तथा कक्षाएं प्रारंभ नहीं होंगे;”;

(चार) खण्ड (चार) के पश्चात्, निम्नलिखित नए खण्ड अन्तःस्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

“(पांच) वह धारा ९-क में उपबंधित प्रक्रिया अपनाए बिना किसी ऐसे विद्यमान महाविद्यालय या संस्था को, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, जो किसी अन्य विश्वविद्यालय से किसी विभाग, विद्या शाखा या निजी विश्वविद्यालय की संघटक इकाई के रूप में संबद्ध हो, अधिसूचित नहीं करेगा;

(छह) वह विनियामक आयोग की पूर्व अनुमति के बिना कोई संकाय स्थापित नहीं करेगा;”;

(पांच) धारा ७ को उसकी उपधारा (१) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए तथा इस प्रकार पुनर्क्रमांकित की गई उपधारा (१) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(२) आशय पत्र, इसके जारी होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के लिए वैध होगा तथा राज्य सरकार, विनियामक आयोग की सिफारिश पर वैधता की कालावधि को एक वर्ष से अनधिक के लिए बढ़ा सकेगी:

परन्तु मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, २०१३ के प्रवृत्त होने के पूर्व जारी किए गए आशय पत्र की वैधता उपरोक्त अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष के लिए होगी.”.

५. मूल अधिनियम की धारा ९ के पश्चात्, अध्याय दो में, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

धारा ९-क का अंतःस्थापन.

“९-क (१) निजी विश्वविद्यालय, उसके निगमन के पश्चात्, विनियामक आयोग को किसी अन्य विद्यमान विश्वविद्यालय से किसी विभाग या विद्या शाखा या निजी विश्वविद्यालय की किसी अन्य संघटक इकाई के रूप में संबद्ध किसी महाविद्यालय या संस्था को अधिसूचित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा.

निजी विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय या संस्था को अधिसूचित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाना.

(२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके साथ:—

(क) उस विद्यमान विश्वविद्यालय का जिससे कि महाविद्यालय संबद्ध हो, और

(ख) संबंधित विनियामक परिषद् का, यदि कोई हो,

अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न न हो.

(३) विनियामक आयोग, उपधारा (१) के अधीन दिए गए आवेदन पर, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह ठीक समझे, आदेश द्वारा, ऐसी तारीख से जैसी कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, अनुज्ञा प्रदान कर सकेगा.

(४) उपधारा (३) के अधीन विनियामक आयोग द्वारा किए गए आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से, महाविद्यालय, यथास्थिति, निजी विश्वविद्यालय के किसी विभाग, विद्या शाखा या संघटक इकाई के रूप में स्थापित किया गया समझा जाएगा.

(५) उपधारा (१) से (४) तक में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन किए गए आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व महाविद्यालय या संस्था में प्रवेशित छात्र विद्यमान विश्वविद्यालय के छात्र बने रहेंगे.”

धारा ११ का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा ११ में,—

“(एक) उपधारा (१) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(१-क) विनियामक आयोग की सिफारिश पर यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि संकायों, पाठ्यक्रमों, छात्रों की संख्या में वृद्धि होने से अथवा किसी अन्य कारण से विन्यास निधि की रकम में वृद्धि करना आवश्यक हो गया है, तो वह आदेश द्वारा, प्रायोजी निकाय को ऐसी अतिरिक्त रकम जैसी कि वह उचित समझे, विन्यास निधि में जमा करने का निदेश दे सकेगी तथा प्रायोजी निकाय ऐसे निदेश का अनुपालन, ऐसे समय के भीतर करेगा जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए.”;

(दो) उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(३) निजी विश्वविद्यालय की अवसंरचना के विकास के लिए विन्यास निधि से आय का उपयोग ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, किया जा सकेगा किन्तु इसका उपयोग निजी विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय हेतु नहीं किया जाएगा.”

धारा १२ का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा १२ में, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“परन्तु खण्ड (क) के अधीन छात्रों से संग्रहीत फीस का एक प्रतिशत संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नियत अंतिम तारीख से तीस दिन के भीतर विनियामक आयोग के पास ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, जमा किया जाएगा.”

धारा १७ का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की धारा १७ में,—

(एक) उपधारा (१) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“परन्तु केवल ऐसा व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस निमित्त विहित मानकों को पूरा करता हो, कुलपति के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र होगा.”;

(दो) उपधारा (५) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“परन्तु केवल ऐसा व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस निमित्त विहित मानकों को पूरा करता हो, कुलपति के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र होगा.”;

धारा २६ का संशोधन.

९. मूल अधिनियम की धारा २६ में,—

(एक) उपधारा (१) में, शब्द “इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए” के स्थान पर, शब्द “इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों, और विनियामक परिषद् के मानकों तथा दिशा-निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए” स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (२), (३) और (४) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“(२) निजी विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमों का प्रारूप, शासी निकाय द्वारा बनाया जाएगा तथा विनियामक आयोग को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा.

(३) विनियामक आयोग, निजी विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रथम परिनियमों के प्रारूप पर उसकी प्राप्ति की तारीख से दो मास के भीतर विचार करेगा और किसी ऐसे उपान्तरण के संबंध में, जिसे कि वह आवश्यक समझे, निजी विश्वविद्यालय से परामर्श करने के पश्चात्, प्रारूप को उपान्तरण सहित या उपान्तरण के बिना राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा.

(४) प्रबंधन बोर्ड, प्रथम परिनियमों में किसी संशोधन के प्रारूप को शासी निकाय के अनुमोदन के साथ विनियामक आयोग को प्रस्तुत करेगा. विनियामक आयोग, संशोधन के प्रारूप पर विचार करने के पश्चात्, उसे ऐसे उपांतरणों के साथ, जिन्हें कि वह आवश्यक समझे, राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा.”.

१०. मूल अधिनियम की धारा २७ में,—

धारा २७ का संशोधन.

(एक) उपधारा (१) में, शब्द “इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यक्ष रहते हुए” के स्थान पर, शब्द “इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों, और विनियामक परिषद् के मानकों तथा दिशा निर्देशों के अध्यक्ष रहते हुए” स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(२) निजी विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमों के प्रारूप से भिन्न अन्य परिनियमों का प्रारूप, प्रबंधन बोर्ड द्वारा शासी निकाय के अनुमोदन से बनाया जाएगा.”;

(तीन) उपधारा (३) में शब्द, कोष्ठक तथा अंक “उपधारा (२) के अधीन बनाए गए परिनियम” के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक तथा अंक “उपधारा (२) के अधीन बनाए गए परिनियमों का प्रारूप” स्थापित किए जाएं;

(चार) उपधारा (५) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(५) विनियामक आयोग, शासी निकाय द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करेगा तथा परिनियमों के प्रारूप को ऐसे उपांतरणों के साथ, जिन्हें कि वह आवश्यक समझे, राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा.”;

(पांच) उपधारा (५) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(६) प्रबंधन बोर्ड, शासी निकाय के अनुमोदन से, प्रथम परिनियमों से भिन्न अन्य परिनियमों में किसी संशोधन के प्रारूप को विनियामक आयोग को प्रस्तुत करेगा. विनियामक आयोग संशोधन के प्रारूप पर विचार करने के पश्चात्, इसे ऐसे उपांतरणों के साथ, जिन्हें कि वह आवश्यक समझे, राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा.”.

११. मूल अधिनियम की धारा २८ में,—

धारा २८ का संशोधन.

(एक) उपधारा (१) में, शब्द “इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों या परिनियमों के उपबंधों के अध्यक्ष रहते हुए” के स्थान पर, शब्द “इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों, और विनियामक परिषद् के मानकों तथा दिशा-निर्देशों तथा परिनियमों के अध्यक्ष रहते हुए” स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(२) निजी विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेशों का प्रारूप कुलपति द्वारा बनाया जाएगा जो कि अनुमोदन के लिए विनियामक आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा.”;

(तीन) उपधारा (४) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(४) कुलपति, विनियामक आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर अपनी टिप्पणी देगा तथा प्रथम अध्यादेशों का प्रारूप विनियामक आयोग को लौटा देगा और विनियामक आयोग, कुलपति की टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात्, प्रथम अध्यादेशों को ऐसे उपांतरणों के साथ, जैसे कि वह आवश्यक समझे, राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा.”.

धारा २९ का स्थापन.

१२. मूल अधिनियम की धारा २९ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

पश्चात्पूर्वी अध्यादेश.

“२९ (१) प्रथम अध्यादेश से भिन्न समस्त अध्यादेश, विद्या परिषद् द्वारा प्रबंधन बोर्ड के अनुमोदन से बनाए जाएंगे.

(२) कुलपति, प्रथम अध्यादेश में किसी संशोधन के प्रारूप को विनियामक आयोग को प्रस्तुत कर सकेगा, विनियामक आयोग, संशोधन के प्रारूप पर विचार करने के पश्चात्, प्रारूप को ऐसे उपांतरणों के साथ, जिन्हें कि वह आवश्यक समझे, राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा.

राज्य सरकार के निदेश.

२९-क. विनियामक आयोग, राज्य सरकार के निदेश पर या किसी भी समय स्वप्रेरणा से, निजी विश्वविद्यालय को किसी परिनियम या अध्यादेश को संशोधित करने या निरसित करने, या ऐसे नए परिनियम या अध्यादेश बनाने का निदेश दे सकेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे और निजी विश्वविद्यालय ऐसे निदेश का ऐसे समय के भीतर, जैसा कि निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, अनुपालन करेगा:

परन्तु यदि निजी विश्वविद्यालय विनिर्दिष्ट समय के भीतर विनियामक आयोग के निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो विनियामक आयोग, धारा ३५ के अधीन किसी परिनियम या अध्यादेश के ऐसे संशोधन या निरसन को या नए परिनियम या अध्यादेश को, राजपत्र में प्रकाशन के लिए, राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा.”.

धारा ३५ का स्थापन.

१३. मूल अधिनियम की धारा ३५ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों का प्रवर्तन.

“३५ (१) समस्त परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम, विनियामक आयोग द्वारा राजपत्र में प्रकाशन के लिए, राज्य सरकार को प्रस्तुत किए जाएंगे.

(२) राज्य सरकार, स्वयं का यह समाधान करने के लिए कि परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुरूप हैं, विनियामक आयोग से ऐसी जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए कह सकेगी या विनियामक आयोग को ऐसे निदेश दे सकेगी जैसा कि वह आवश्यक समझे.

(३) समस्त परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

धारा ३६ का संशोधन.

१४. मूल अधिनियम की धारा ३६ में,—

(एक) उपधारा (३) को उसके खण्ड (क) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए, और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

“(ख) विनियामक आयोग, व्यावसायिक पाठ्यक्रम से संबंधित किसी भी विषय पर विचार करते समय राज्य सरकार के विभागों और प्रशासकीय विभाग के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करेगा.



(ग) विनियामक आयोग तथा खण्ड (ख) के अधीन आमंत्रित किए गए प्रतिनिधियों के बीच किसी विषय पर मत भिन्नता होने की दशा में, ऐसा विषय विनिश्चय के लिए राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा.”.

(दो) उपधारा ११ के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(१२) (क) विनियामक आयोग को कृत्यों के निष्पादन एवं कर्तव्यों के निर्वहन के लिए समस्त आवश्यक शक्तियां होंगी.

(ख) पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विनियामक आयोग को निम्नलिखित विषयों के संबंध में, वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ का ५) के अधीन सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्:—

(एक) निजी विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी को समन भेजना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसका परीक्षण करना;

(दो) निजी विश्वविद्यालय से किसी दस्तावेज या सामग्री का प्रकटीकरण या प्रस्तुत करवाना;

(तीन) निजी विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी से शपथ-पत्र पर साक्ष्य लेना;

(चार) निजी विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना; या

(पांच) कोई अन्य विषय जो कि विहित किया जाए.

(ग) खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट शक्तियों के अतिरिक्त, विनियामक आयोग को यह शक्ति होगी कि—

(एक) निजी विश्वविद्यालय को ऐसे निदेश जारी करे जैसे कि वह उचित समझे और ऐसे समय के भीतर, जैसा कि निदेशों में नियत किया गया है, अनुपालन रिपोर्ट मंगाना;

(दो) निजी विश्वविद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम से भिन्न किसी अन्य पाठ्यक्रम में, ऐसी कालावधि के लिए जैसी कि वह उचित समझे, प्रवेश को रोकने या स्वीकृत अन्तर्ग्रहण को कम करने के लिए, निजी विश्वविद्यालय को निदेश देना;

(तीन) निजी विश्वविद्यालय पर, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध, विश्वविद्यालय के किसी परिनियम, अध्यादेश या विनियम या विनियामक आयोग द्वारा दिए गए निदेशों का उल्लंघन करने पर शास्ति अधिरोपित करना जो कि प्रथम उल्लंघन पर एक लाख रुपये तक की हो सकेगी और पश्चात्पूर्ती उल्लंघन के लिए दस लाख रुपये तक की हो सकेगी और सम्पूर्ण शास्ति या उसके किसी भाग का भुगतान उन छात्रों को करने का आदेश देना जो कि निजी विश्वविद्यालय की गलत कार्रवाई के कारण प्रभावित हुए हों;

(चार) धारा ११ की उपधारा (२) के अधीन या धारा ४१ की उपधारा (१) के अधीन निजी विश्वविद्यालय के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करना.”.

१५. मूल अधिनियम की धारा ३६ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

“३६-क. (१) विनियामक आयोग द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति अथवा निजी विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का

धारा ३६-क का अंतःस्थापन.

अपील फाईल किया जाना.

निर्धारण) अधिनियम, २००७ (क्रमांक २१ सन् २००७) की धारा १० के अधीन नियुक्त अपील प्राधिकारी को आदेश प्राप्त होने की तारीख से ३० दिन के भीतर, अपील फाईल कर सकेगा:

परन्तु अपील प्राधिकारी उक्त ३० दिन की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय से अपील फाईल करने में पर्याप्त कारण से प्रविरत रहा है।

(२) उपधारा (१) के अधीन अपील प्राप्त होने पर अपील प्राधिकारी, प्रत्यर्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यथासंभव शीघ्रता से विनियामक आयोग के आदेश की पुष्टि कर सकेगा, उसे उपांतरित कर सकेगा या उसे उलट सकेगा।

(३) अपील प्राधिकारी, स्वविवेकानुसार यह निदेश भी दे सकेगा कि अपील के लंबित रहने के दौरान उस आदेश का, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, निष्पादन स्थगित बना रहेगा।

(४) ऐसी अपील में अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा।”

धारा ४१ का संशोधन.

१६. मूल अधिनियम की धारा ४१ में,—

(एक) उपधारा (१) और (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“(१) विनियामक आयोग की रिपोर्ट पर या अन्यथा, यदि राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि—

(क) निजी विश्वविद्यालय में कुशासन या वित्तीय कुप्रबंध की स्थिति उद्भूत हो गई है; या

(ख) निजी विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों, या विश्वविद्यालय के परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के उपबंधों का गंभीर उल्लंघन किया है; या

(ग) निजी विश्वविद्यालय ने विनियामक आयोग के निदेशों का अनुपालन करने में लगातार व्यतिक्रम किया है; या

(घ) निजी विश्वविद्यालय की कार्यवाहियां, उसके विद्यार्थियों के हितों के प्रतिकूल हैं,

तो वह निजी विश्वविद्यालय से सात दिन के भीतर कारण दर्शाने की अपेक्षा करते हुए नोटिस जारी करेगा कि उसके परिसमापन का आदेश क्यों न किया जाए.

(२) यदि राज्य सरकार का, उपधारा (१) के अधीन जारी सूचना का प्रत्युत्तर प्राप्त होने पर या अन्यथा समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उद्भूत हो गई है जिसमें विश्वविद्यालय का प्रशासन इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राज्य सरकार राजपत्र में, प्रकाशित अधिसूचना द्वारा शासी निकाय, प्रबंधन बोर्ड, कुलाधिपति और कुलपति के निलंबन का आदेश करेगी और निजी विश्वविद्यालय के कारबार के प्रशासन हेतु एक प्रशासक नियुक्त करेगी, जो शासी निकाय, प्रबंधन बोर्ड, कुलाधिपति और कुलपति की शक्तियों का प्रयोग करेगा। ऐसी अधिसूचना प्रथम बार में छह मास की कालावधि के लिए जारी की जाएगी और छह मास से अनधिक की ऐसी कालावधि के लिए जैसी कि राज्य सरकार आवश्यक समझे, बढ़ाई जा सकेगी:

परन्तु राज्य सरकार किसी भी समय राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, इस प्रकार नियुक्त प्रशासक की नियुक्ति को प्रतिसंहत कर सकेगी और शासी निकाय, प्रबंधन बोर्ड, कुलाधिपति और कुलपति को पुनः स्थापित कर सकेगी।”;

(दो) उपधारा (७) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(७) जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि:—

- (क) कुप्रशासन या वित्तीय कुप्रबंधन के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि निजी विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिरता या प्रशासन असुरक्षित हो गया है, या
- (ख) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या निजी विश्वविद्यालय के परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के उपबंधों के गंभीर उल्लंघन के कारण या निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के निदेश के अनुपालन में लगातार व्यतिक्रम कर रहा है या विद्यार्थियों के हित गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं, या
- (ग) निजी विश्वविद्यालय को बनाए रखना जनहित में नहीं है, तो वह राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा निजी विश्वविद्यालय के समापन का आदेश देगी या प्रशासक की नियुक्ति करके, जिसमें शासी निकाय की शक्तियां होंगी, निजी विश्वविद्यालय को चालू रखवाएगी:

परन्तु समापन का कोई आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि अधिनियम की अनुसूची से ऐसे निजी विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टि को हटा न दिया जाए.”

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2013

क्र. 6086-253-इक्कीस-अ-(प्रा)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT  
No. 30 OF 2013

THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM SANCHALAN) DWITIYA  
SANSHODHAN ADHINIYAM, 2013

TABLE OF CONTENTS.

Sections :

1. Short title and commencement.
2. Amendment of Section 2.
3. Amendment of Section 4.
4. Amendment of Section 7.
5. Insertion of Section 9-A.
6. Amendment of Section 11.
7. Amendment of Section 12.
8. Amendment of Section 17.
9. Amendment of Section 26.
10. Amendment of Section 27.
11. Amendment of Section 28.
12. Substitution of Section 29.
13. Substitution of Section 35.
14. Amendment of Section 36.
15. Insertion of Section 36-A.
16. Amendment of Section 41.

MADHYA PRADESH ACT  
No. 30 OF 2013

**THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM  
SANCHALAN) DWITIYA SANSHODHAN ADHINIYAM, 2013**

[Received the assent of the Governor on the 7th September 2013; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 11th September, 2013.]

**An Act further to amend the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-fourth year of the Republic of India as follows :—

**Short title and commencement.**

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Dwitiya Sanshodhan Adhiniyam, 2013.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

**Amendment of Section 2.**

2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007) (hereinafter referred to as the Principal Act),—

(i) after clause (p), the following clause shall be inserted, namely :—

“(pa) “professional course” means a professional course as defined in clause (m) of Section 3 of the Niji Vyavsayik Shikshan Sanstha Act;”;

(ii) clause (t) shall be omitted;

(iii) for clause (v), the following clause shall be substituted, namely :—

“(v) Regulatory Council” means the All India Council for Technical Education established under the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987), the Bar Council of India constituted under section 4 of the Advocates Act, 1961 (25 of 1961), the Council of Architects established under the Architects Act, 1972 (20 of 1972) , the Medical Council of India constituted under the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Paramedical Council of Madhya Pradesh established under the Madhya Pradesh Sah Chikitsiy Parishad Adhiniyam, 2000 (No. 1 of 2001), the Pharmacy Council of India constituted under the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Dental Council of India constituted under the Dentists Act, 1948 (16 of 1948), the Indian Nursing Council constituted under the Indian Nursing Council Act, 1947 (48 of 1947), the Central Council of Indian Medicine constituted under the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Council of Homoeopathy constituted under the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the National Council for Teacher Education established under the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993), the Central Council for Research in Yoga and Naturopathy established as an autonomous body under the Department of Ayush, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, the Indian Council of Agriculture Research established as a registered society under the Department of Agriculture, Research and Education, Ministry of Agriculture, Government of India or any other Central or a State regulatory body which is established by the Central Government or State Government for laying down norms and conditions for ensuring standards of higher education from time to time, as the case may be;”.

3. In Section 4 of the Principal Act, in sub-section (2), for clause (h), the following clause shall be substituted, namely :—

**Amendment of Section 4.**

“(h) the nature and the number of faculties such as Science, Arts, Commerce, Technology, Education, Health Sciences etc, types of Programmes (under graduate or post graduate) of study and research proposed to be undertaken by the Private University in each faculty and phasing of such Programme for five years with course wise enrollment targets :

Provided that the Private University shall not propose to start any Programme or course which is not in the approved list of the University Grants Commission without obtaining previous permission of the University Grants Commission;”.

4. In Section 7 of the Principal Act,—

**Amendment of Section 7.**

(i) in clause (i), for sub-clause (a), the following sub-clause shall be substituted, namely :—

“(a) the main campus and such other campuses as may be permitted by the Regulatory Commission in accordance with the provisions of the University Grants Commission Regulation, 2003 as amended from time to time;”;

(ii) for clauses (ii) and (iii), the following clauses shall be substituted, namely :—

“(ii) subject to prescribed norms, if any, of the concerned Regulatory Council or Councils or the University Grants Commission, it shall procure a minimum 10 hectares of land for the main campus to be established and submit its papers of ownership;

“(iii) subject to the prescribed norms, if any, of the concerned Regulatory Council or Councils or the University Grants Commission, it shall make available a minimum built-up area of 2500 square metres in the form of buildings and ancillary structure for administrative purposes and for conducting the academic programmes;”;

(iii) in clause (iv),—

(a) for sub-clause (f), the following sub-clause shall be substituted, namely :—

“(f) that it shall fulfill such other conditions and furnish such other information as may be prescribed by the University Grants Commission, Regulatory Commission and Regulatory Councils from time to time;”;

(b) for sub-clause (i), the following sub-clause shall be substituted, namely :—

“(i) that it shall determine the admission procedure and fixation of fees in accordance with the norms, guidelines or directions, if any, of the University Grants Commission or the Regulatory Councils or the Regulatory Commission, as the case may be;”;

(c) for sub-clause (k), the following sub-clause shall be substituted namely :—

“(k) that the teaching staff of the Private University shall have minimum qualification as prescribed by the University Grants Commission or the concerned Regulatory Council or body and the staff shall be paid appropriate emoluments;”;

(d) for sub-clause (m), the following sub-clause shall be substituted, namely :—

“(m) that the admission and conduct of classes shall not be commenced till concerned statutes or ordinances are published in the official Gazette as per provision of Section 35;”;

(iv) after clause (iv), the following new clauses shall be inserted, namely :—

“(v) it shall not notify an existing college or institution by whatever name called, which is affiliated to another University as a Department, School of Studies or constituent unit of the Private University without adopting the procedure provided in Section 9-A;

(vi) it shall not establish any faculty without previous permission of the Regulatory Commission;”;

(v) Section 7 shall be renumbered as sub-section (1) thereof and after sub-section (1) as so renumbered, the following new sub-section shall be inserted, namely :—

“(2) The letter of intent shall be valid for a period of two years from the date of its issue and the State Government may, on the recommendation of the Regulatory Commission, extend the period of validity not exceeding one year :

Provided that the validity of a letter of intent issued, prior to the coming into force of the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Dwitiya Sanshodhan Adhinyam, 2013, shall be one year from the date of commencement of the aforesaid Act.”.

**Insertion of Section 9-A.**

5. After Section 9 of the Principal Act, the following section shall be inserted in Chapter II, namely :—

**Submission of application by Private University to notify college or institution.**

“9-A. (1) The Private University, after its incorporation, may submit an application to the Regulatory Commission to notify a college or institution affiliated to any other existing University as a Department or School of Studies or any other constituent unit of the Private University.

(2) The application referred to in sub-section (1) shall not be entertained unless it is accompanied by a no objection certificate of :-

(a) the existing University to which the college is affiliated, and

(b) the concerned Regulatory Council, if any.

(3) The Regulatory Commission may by order after making such enquiries as it may deem fit, grant permission on the application made under sub-section (1) from such date as may be specified in the order.

(4) As from the date specified in the order made by the Regulatory Commission under sub-section (3), the college shall be deemed to have been established as a Department, School of Studies or constituent unit of the Private University, as the case may be.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) to (4), the students admitted in the college or institution prior to the date specified in the order made under this section shall continue to be the students of the existing University.”.

6. In section 11 of the principal Act,-

**Amendment of Section 11.**

(i) after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(1-A) On the recommendation of the Regulatory Commission, if the State Government is satisfied that due to increase in the number of faculties, courses, students or any other reason the amount of endowment fund needs to be augmented, it may, by order, direct the sponsoring body to deposit such additional amount in the endowment fund as it may deem fit and the sponsoring body shall comply with such direction within such time as may be specified in the order.”;

(ii) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely :—

“(3) Income from the endowment fund may be utilized for development of infrastructure of the Private University in such manner as may be prescribed but shall not be utilized for recurring expenditure of the private university.”.

7. In section 12 of the principal Act, for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

**Amendment of Section 12.**

“Provided that one percent of the fees collected from the students under clause (a), shall be deposited with the Regulatory Commission within thirty days from the last date fixed for admission to the concerned course in such manner as may be prescribed.”.

8. In section 17 of the principal Act,—

**Amendment of Section 17.**

(i) in sub-section (1), for full stop, a colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided that only such person who fulfills the norms prescribed by the University Grants Commission in this behalf shall be eligible to be appointed as Vice-Chancellor.”;

(ii) in sub-section (5), for full stop, a colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided that only such person who fulfills the norms prescribed by the University Grants Commission in this behalf, shall be eligible to be appointed as Vice-Chancellor.”.

9. In section 26 of the principal Act,—

**Amendment of Section 26.**

(i) in sub-section (1), for the words "Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder", the words "Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder and the norms and guidelines of the Regulatory Council" shall be substituted;

(ii) for sub-sections (2), (3) and (4), the following sub-sections shall be substituted, namely:—

“(2) The draft of first Statutes of the Private University shall be made by the governing body and shall be submitted to the Regulatory Commission for approval.

(3) The Regulatory Commission shall consider the draft of first Statutes, submitted by the Private University, within two months from the date of its receipt and shall, after consulting the Private University in respect of any modification as it may deem necessary, forward the draft to the State Government with or without modification.

- (4) The Board of Management with the approval of the governing body shall submit draft of any amendment in the first Statutes to the Regulatory Commission. The Regulatory Commission shall, after considering the draft of amendment, forward it to the State Government with such modifications as it may deem necessary."

**Amendment of Section 27.**

10. In section 27 of the principal Act,—

- (i) in sub-section (1), for the words "Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder", the words "Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder and norms and guidelines of the Regulatory Council" shall be substituted;
- (ii) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely :—
- "(2) The draft of the Statutes of the Private University other than the draft of first Statutes shall be made by the Board of Management with the approval of the governing body.";
- (iii) in sub-section (3), for the words, bracket and figure " The statutes made under sub-section (2)", the words, bracket and figure "The draft of the Statutes made under sub-section (2)" shall be substituted;
- (iv) for sub-section (5), the following sub-section shall be substituted, namely :—
- "(5) The Regulatory Commission shall consider the suggestions made by the governing body and forward the draft of Statutes to the State Government with such modifications as it may deem necessary.";
- (v) after sub-section (5), the following new sub-section shall be inserted, namely :—
- "(6) The Board of Management with the approval of the governing body shall submit the draft of any amendment in the Statutes other than the first Statutes to the Regulatory Commission. The Regulatory Commission shall, after considering the draft of amendments, forward it to the State Government with such modifications as it may deem necessary."

**Amendment of Section 28.**

11. In section 28 of the principal Act,—

- (i) in sub-section (1), for the words "Subject to the provisions of this Act and the rules or Statutes made thereunder", the words "Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder and the norms and guidelines of the Regulatory Councils and Statutes" shall be substituted;
- (ii) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely :—
- "(2) The draft of the first Ordinances of the Private University shall be made by the Vice-Chancellor which shall be submitted to the Regulatory Commission for approval.";
- (iii) for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namely :—
- "(4) The Vice-Chancellor shall give his comments on the suggestions made by the Regulatory Commission and shall return the draft of first Ordinances to the



Regulatory Commission and the Regulatory Commission shall, after considering the comments of the Vice-Chancellor forward the first Ordinances to the State Government with such modifications as it may deem necessary."

12. For section 29 of the principal Act, the following Sections shall be substituted, namely :—

**Substitution of Section 29.**

"29. (1) All Ordinances other than the first Ordinances shall be made by the Academic Council with the approval of the Board of Management.

**S u b s e q u e n t Ordinances.**

(2) The Vice-Chancellor may submit draft of any amendment in the first Ordinances to the Regulatory Commission, the Regulatory Commission shall after considering the draft of amendment, forward the draft to the State Government with such modifications as it may deem necessary.

29-A. The Regulatory Commission shall on the direction of the State Government or on its own motion at any time, direct the Private University to amend or repeal any Statute or Ordinance or make such new Statute or Ordinance as it may deem fit and the Private University shall comply with such direction within such time as may be specified in the direction:

**Direction of State Government.**

Provided that if the Private University fails to comply with the directions of the Regulatory Commission within the specified time the Regulatory Commission shall submit to the State Government such amendment or repeal of any Statute or Ordinance or new Statute or Ordinance for publication in the official Gazette under section 35."

13. For section 35 of the principal Act, the following Section shall be substituted, namely :—

**Substitution of Section 35.**

"35. (1) All Statutes, Ordinances and Regulations shall be submitted by the Regulatory Commission to the State Government for publication in the official Gazette.

**Enforcement of Statutes, Ordinances and Regulations.**

(2) The State Government may, in order to satisfy itself that the Statutes, Ordinances and Regulations are conformed to the provisions of this Act and rules made thereunder, ask for such information or clarification from the Regulatory Commission or may give such directions to the Regulatory Commission as it may deem fit.

(3) All Statutes, Ordinances and Regulations shall come into force from the date of their publication in the official Gazette."

14. In section 36 of the principal Act,—

**Amendment of Section 36.**

(i) sub-section (3) shall be renumbered as clause (a) thereof and after clause (a) as so renumbered, the following clauses shall be inserted, namely:—

"(b) The Regulatory Commission shall invite the representatives of the State Government departments and administrative department while considering any matter relating to a professional course.

(c) In case of difference of opinion on any matter between the Regulatory Commission and the representatives invited under clause (b), the matter shall be referred to the State Government for the decision."

(ii) after sub-section (11), the following new sub-section shall be inserted namely :—

"(12) (a) The Regulatory Commission shall have all the necessary powers for discharging the functions and performing the duties.

(b) Without prejudice to the generality of the foregoing powers, the Regulatory Commission shall have the same powers as are vested in a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 (No. 5 of 1908) in respect of the following matters, namely :—

- (i) summoning and enforcing the attendance of any officer or employee of the Private University and examining him on oath;
- (ii) discovery and production of any document or material from the private university;
- (iii) receiving evidence on affidavits of any officer or employee of a Private University;
- (iv) issuing commission for the examination of any officer or employee of a Private University; or
- (v) any other matter which may be prescribed.

(c) In addition to the powers specified in clause (a) and (b) the Regulatory Commission shall have power :—

- (i) to issue such directions as it may deem fit to the Private University and ask for the compliance report within such time as stipulated in the directions;
- (ii) to direct the Private University to stop admission or reduce the sanctioned intake in any course other than a professional education course in the Private University for such period as it may deem fit;
- (iii) to impose a fine on the Private University for contravention of any provision of this Act or the rules made thereunder, the Statutes, Ordinances, Regulations of the University or directions issued by the Regulatory Commission which may extend upto one lakh rupees at the first contravention and upto ten lakh rupees for the subsequent contravention and to order the payment of whole or part of the fine to the students who suffered due to wrong action of the Private University;
- (iv) to recommend to the State Government for taking action against the Private University under sub-section (2) of section 11 or under sub-section (1) of section 41."

**Insertion of Section 36-A.**

15. After section 36 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :—

**Filing of Appeal.**

"36-A. (1) Any person or Private University aggrieved by an order passed by the Regulatory Commission may file an appeal within 30 days from the date of receipt of the order to the appellate authority appointed under section 10 of the Madhya Pradesh Niji Vyavsayik Shikshan Sanstha (Pravesh Ka Viniyaman Avam Shulk Ka Nirdharan) Adhiniyam, 2007 (No. 21 of 2007) :

Provided that the appellate authority may entertain the appeal after the expiry of the said period of 30 days if he is satisfied that the appellatant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(2) On receipt of an appeal under sub-section (1), the appellate authority shall, after giving the non appellant an opportunity of being heard confirm, modify or reverse the order of the Regulatory Commission as expeditiously as possible.

(3) The appellate authority may also, in its discretion, direct that during pendency of appeal, the execution of the order appealed against shall remain stayed.

(4) The order passed by the appellate authority in such appeal shall be final."

16. In section 41 of the Principal Act,—

**Amendment of Section 41.**

(i) for sub-sections (1) and (2), the following sub-sections shall be substituted, namely:—

"(1) On report of the Regulatory Commission or otherwise if it appears to the State Government that—

- (a) a situation of maladministration or financial mismanagement has arisen in a Private University, or
- (b) the Private University has made serious contravention of the provision of this Act or rules made thereunder, or the Statutes, Ordinances or Regulations of the University, or
- (c) the Private University has made repeated default in complying with directions of the Regulatory Commission, or
- (d) the actions of the Private University are prejudicial to the interest of its students,

it may issue notice requiring the Private University to show cause within seven days as to why an order of its liquidation should not be made.

(2) If the State Government, on receipt of the reply of the notice issued under sub-section (1) or otherwise, is satisfied that a situation has arisen in which the administration of the University can not be carried out in accordance with the provisions of the Act, the State Government may, by a notification published in the official Gazette order suspension of the Governing Body, Board of Management, Chancellor and the Vice-Chancellor and appoint an Administrator for the administration of the business of the Private University who shall exercise the powers of the Governing Body, Board of Management, the Chancellor and the Vice-Chancellor. Such notification shall be issued for a period of six months at the first instance and may be extended for such period not exceeding six months as the State Government may consider necessary :

Provided that the State Government may at any time by a notification in the official Gazette revoke the appointment of Administrator so appointed and reinstate the Governing Body, Board of Management, Chancellor and the Vice-Chancellor.;"

(ii) for sub-section (7), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(7) If the State Government, on receipt of the enquiry report is satisfied that :—

- (a) owing to the maladministration or financial mismanagement a situation has

arisen due to which the financial stability or administration of the Private University has become insecure, or

- (b) owing to serious contravention of the provisions of this Act or rules made thereunder, or the Statutes, Ordinances or Regulations of the Private University, or the private University is making repeated default in complying with the direction of the Regulatory Commission or the interest of its students are seriously affected, or
- (c) the continuance of the Private University is not in the public interest,

it shall by notification in the official Gazette, order liquidation of the Private University or may cause the functioning of the Private University to continue by appointing an Administrator who shall have the powers vested in the governing body :

Provided that no order of liquidation shall take effect unless the entry relating to such Private University is deleted from the Schedule to this Act."